UPBJ010020502026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं० 1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव) (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06041

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–673/2026

शकील पुत्र ताहिर निवासी ग्राम बुरहानुद्दीनपुर हाल निवासी ग्राम बेगावाला नई बस्ती थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध सं०–54/2026
धारा–305(A),331(4),317(2)भा०न्या०सं०
थाना–चाँदपुर, जिला बिजनौर।

<u>दिनांक 10–03–2026</u>

01. यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त शकील की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 54/2026 अन्तर्गत धारा–305(A), 331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना चाँदपुर, जिला बिजनौर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

03. उक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

04. अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि वादी मुकदमा अजय बंसल ने थाना चाँदपुर पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत किया कि दिनांक 28 जनवरी को प्रातः 09 बजे प्रार्थी का पुत्र अपने प्रतिष्ठान रचना टायर्स जो कि बाईपास रोड़, चान्दपुर पर स्थित है, को खोलने हेतु पहूंचा, ताला शटर खोलने के बाद गल्ले का सामान बिखरा देख अंदर दुकान में घुसकर देखा, पिछली दीवार में कुंबल कटा देखा। शुभम के द्वारा अपने परिजनों को सूचना देने के बाद नुकसान का जायजा लिया गया, जिसमें गिफ्ट के रूप में प्राप्त सोने व चांदी के सिक्के, जिनमें 1 से 5 ग्राम सोने के सिक्के जिनका वजन 20 ग्राम एवं चांदी के 10 सिक्के व 02 सिक्के लक्ष्मी–गणेश जी के बड़े वाले, जिनका वजन 150 ग्राम एवं दुकान की बिक्री नकद के रूप में 55,000/– रुपये एवं बैंक के चैक जो भुगतान के रूप में प्राप्त हुए थे वह भी चोर अपने साथ ले गये। प्रतिष्ठान में लगे सी०सी०टी०वी० कैमरों में उक्त चोरों के चोरी करते हुए प्रमाण

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2026.03.11 10:04:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मौजूद हैं। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना चाँदपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 54/2026 अन्तर्गत धारा–331(4), 305(A) भारतीय न्याय संहिता का अभियोग अज्ञात में पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना धारा–317(2) भारतीय न्याय संहिता की बढोत्तरी की गयी।

05. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा अजय बंसल के प्रतिष्ठान रचना टायर्स की दीवार में कुंबल काटकर सोने के सिक्के वजन 20 ग्राम व चांदी के सिक्के वजन 150 ग्राम तथा 55,000/–रुपये नकद एवं बैंक के चैक जो भुगतान के रूप में प्राप्त हुए थे, चोरी करने तथा अभियुक्त के कब्जे से 2100/–रुपये नगद तथा तीन सिक्के सफेद धातू की बरामदगी हुई है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

06. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों के समरूप तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी को वाद उपरोक्त में गांव की पार्टीबन्दी के कारण झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी निर्दोष है। वाद उपरोक्त की घटना दिनांक 27.01.2026 की होना बतायी गयी है, जबकि वाद उपरोक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.01.2026 को समय करीब 12:21 बजे दर्ज करायी गयी है, जबकि वादी द्वारा देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। वाद उपरोक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रार्थी को घर से उठाकर झूठा चालान किया गया है। प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं हुई है। कथित बरामदगी जाली व फर्जी है तथा कथित बरामदगी में कोई स्वतंत्र निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी वाद उपरोक्त में दिनांक 06.02.2026 से जिला कारागार बिजनौर में निरुद्ध है। प्रार्थी अपनी मौतबीर जमानत देने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की कृपा करें।

07. पुलिस प्रपत्रों का मय केस डायरी के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रकरण उपरोक्त में अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध वादी मुकदमा के प्रतिष्ठान रचना टायर्स की दीवार में कुंबल काटकर सोने के सिक्के वजन 20 ग्राम व चांदी के सिक्के वजन 150 ग्राम तथा 55,000/–रुपये नकद चोरी करने तथा अभियुक्त के कब्जे से 2100/–रुपये नकद व तीन सिक्के सफेद धातु, बरामद होने का आरोप है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। कथित चोरी की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.01.2026 को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है। फर्द बरादमगी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ दिनांक 05.02.2026 को गिरफ्तार किया जाना एवं अभियुक्त के कब्जे से 2100/–रुपये नकद व तीन सिक्के सफेद धातू बरामद होना दर्शाया गया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी दर्शित नहीं किया गया है। जहां तक बरामदगी का प्रश्न है तो वह सत्य है या असत्य है, यह साक्ष्य का विषय है। अभियुक्त को दिनांक 06.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है।

08. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय की राय में अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

आदेश

09. अभियुक्त शकील की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को रुपये 30,000/– (तीस हजार) का निजी बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के आधार पर निष्पादित करने पर इस शर्त के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये कि वह जमानत पर छूटने के उपरान्त साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा तथा विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा व न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होगा।

दिनांक 10–03–2026

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–1
बिजनौर।